



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-20052025-263231
CG-MH-E-20052025-263231

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2177]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 19, 2025/वैशाख 29, 1947

No. 2177]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 19, 2025/VAISAKHA 29, 1947

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 17 मई, 2025

रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 20E के तहत

का.आ. 2231(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11)(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'क' की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 19 सितम्बर 2022 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्या का. आ. 4381 (E) तारीख 19 सितम्बर 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को महाराष्ट्र राज्य के धुले जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् पाचोरा - जामनेर का मलकापुर तक विस्तार - नैरो गेज से ब्रॉड गेज (84.34Kms) की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी ।

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप धारा (4) के अधीन विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (१) (यूटीपीएच) जलगांव, जिला दैनिक सामाचार पत्रों अर्थात “दैनिक सकाळ” “दैनिक देशोन्नती” “दैनिक जनशक्ति” व “दैनिक पुण्यनगरी” में तारीख 15-07-2024 व 19-03-2025 को प्रकाशित किया गया था।

और, कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे।

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

और यह कि केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले के अंतर्गत 2 गाँव का विशेष रेल परियोजना पाचोरा - जामनेर का मलकापुर तक विस्तार - नैरो गेज से ब्रॉड गेज (84.34Kms) के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

अ.क्र.	भूसंपादन प्रकरण क्रमांक	गाँव का नाम	तालुका	7/12 अनुसार भूधारक का नाम	सर्वे नं/ गट नं.	7/12 अनुसार कुल क्षेत्रफल (चौ.मी /हे.आर.)	संपादन क्षेत्र (चौ. मी./ हे.आर)
1	14/22	शेंदुर्णी	जामनेर	आशिष पुनमचंद अग्रवाल	622/12	100 चौ.मी	84 चौ.मी
2				रोड	622/ रोड	5736 चौ.मी	836 चौ.मी
3				खुली जागा	622/14	1672 चौ.मी	609 चौ.मी
				कुल		(7,508चौ.मी)/ 0.7508 हे.आर	(1,529चौ.मी)/ 0.1529 हे.आर
1	01/25	होळ हवेली	जामनेर	सुशिलाबाई बाबुराव पाटील	22/1	1.40	1.13
				ललित ज्ञानेश्वर काळबैले	22/2	1.21	
2				जितेंद्र प्रेमसिंग पवार	23/1/पै	0.81	0.39
3				शालीग्राम जगन्नाथ वाघ	23/1/पै	0.30	0.34
				शालीग्राम जगन्नाथ वाघ	23/2	1.50	
4				सौ. यशोदाबाई ईश्वर पाटील	24/2/अ/1	1.53	0.06
5				गोपाल भागवत वाघ	24/2/अ/3	0.81	0.48

अ.क्र.	भूसंपादन प्रकरण क्रमांक	गाँव का नाम	तालुका	7/12 अनुसार भूधारक का नाम	सर्वे नं/ गट नं.	7/12 अनुसार कुल क्षेत्रफल (चौ.मी /हे.आर.)	संपादन क्षेत्र (चौ. मी./ हे.आर)
6				ईश्वर किसन पाटील	24/2/ब/2	1.67	0.15
7				धनराज अभिमान सोनावणे व इतर ३६	67 पै	0.36	0.27
8				भगवतीप्रसाद भवरलाल मुदंडा	67 पै	2.46	0.79
				कुल		12.05हे.आर	3.61हे.आर
				कुल योग		12.8008 हे.आर	3.7629 हे.आर

[फा. सं. G197/PC-JMNR/Hol Haveli-Shendurni/May/20E]
अवनीश कुमार पाण्डेय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 17th May, 2025

Under clause 20E of the Railway (Amendment) Act 2008

S.O. 2231(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O 4381 (E) dated 19th September 2022 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section (ii), dated the 19th September 2022 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) and Railway (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely Pachora-Jamner with Extension upto Malkapur-Narrow Gauge to Broad Gauge (84.34 Kms) in the district of Jalgaon in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification was published in for SLAO(1)UTPH.Jalgaon daily Marathi newspapers namely “Dainik Sakal” “Dainik Deshonatti” “Dainik Janshakti” & “Dainik Punyanagri” Dated 15-07-2024 & Dated 19-03-2025 under sub section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections were received.

And whereas, in pursuance of sub-section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project of Pachora-Jamner with Extension upto Malkapur-Narrow Gauge to Broad Gauge (84.34Kms) for 2 village in the District Jalgaon in the State of Maharashtra

S.N.	Land Acquisition Case No.	Name of Village	Taluka	Land Owners Name according to 7/12	Survey No./ Gutt No.	Area as per 7/12 Extracts (Ha./Sq.M.)	Acquisition Area (Ha./Sq.M)
1	2	3	4	5	6	8	9
1	14/2022	Shendurni	Jamner	Ashish Punamchand Agrawal	622/12	100 Sq.M.	84 Sq.M.
2				Road	622/Road	5736 Sq.M.	836 Sq.M.
3				Open Space	622/14	1672 Sq.M.	609 Sq.M.
				Total		7,508 Sq.M./ 0.7508 Ha.	1529 Sq.M./ 0.1529 Ha.
1	01/25	Hol Haveli	Jamner	Sushilabai Baburao Patil	22/1	1.40	1.13
				Lalit Dyaneshwar Kalbaile	22/2	1.21	
2				Jitendra Premsingh Pawar	23/1/ॐ	0.81	0.39
3				Shaligram Jagannath Wagh	23/1/ॐ	0.30	0.34
				Shaligram Jagannath Wagh	23/2	1.50	
4				Sau. Yashoda Eshwar Patil	24/2/अ/1	1.53	0.06
5				Gopal Bhagwat Wagh	24/2/अ/3	0.81	0.48
6				Eshwar Kisan Patil	24/2/ब/2	1.67	0.15
7				Dhanraj Abhiman Sonawane & 36 Others	67 ॐ	0.36	0.27
8				Bhagwatiprasad Bhavarlal Mudanda	67 ॐ	2.46	0.79
				Total		12.05 Ha.	3.61 Ha.
				Grand Total		12.8008 Ha.	3.7629 Ha.

[F. No. G197/PC-JMNR/HolHaveli-Shendurni/May/20E]

AVANISH KUMAR PANDEY, Chief Administrative Officer (Construction)